भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 243

बुधवार, दिनांक 05 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

प्रधान मंत्री - सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का कार्यान्वयन

***243. श्री राजीव प्रताप रूडी:**

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से आवासीय परिवारों को सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के कार्यान्वयन और अवसंरचना संबंधी रूपरेखा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देशभर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी सौर ऊर्जा प्रणालियां सफलतापूर्वक आरंभ की गई हैं और कितनी केन्द्रीय राजसहायता संवितरित की गई है;

(ग) देशभर में विशेषकर बिहार में जिला-वार इस संबंध में हुई विशिष्ट प्रगति क्या है तथा सौर ऊर्जा प्रणाली कितने घरों में लगाई गई है और कितने नेट-मीटरिंग कनेक्शन आरंभ किए गए हैं;

(घ) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को सक्षम बनाने और आवेदन की व्यवहार्यता की स्थिति का पता लगाने के लिए रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल सहित संस्थापित की गई अन्य डिजिटल अवसंरचना की ढांचागत विशिष्टताएं क्या हैं; और

(ङ.) सरकार द्वारा वेंडर पैनल पूल का विस्तार करने, स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा तकनीकी निरीक्षणों को कारगर बनाने और संस्थापन में विलंब को रोकने के लिए शीघ्र ऋण स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा शिक्षा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'प्रधान मंत्री - सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का कार्यान्वयन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 05.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 243 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय फरवरी 2024 से देश भर में प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) का कार्यान्वयन कर रहा है। PMSG: MBY एक मांग संचालित योजना है जिसमें बिहार राज्य सहित देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड-कनेक्टेड बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल (www.pmsuryaghar.gov.in) पर आवेदन करके RTS सिस्टम की स्थापना करवाने के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी विनियमों के अनुसार, आवासीय बिजली कनेक्शनों के लिए नेट-मीटरिंग का प्रावधान है। आवेदन से लेकर सीधे आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी के वितरण तक की पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन है।

इस योजना के तहत, फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत से लेकर, 50 लाख से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है, जिसमें दिनांक 04.08.2026 तक देशभर में केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के रूप में 28,024 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

इसी तरह, फरवरी 2024 में योजना की शुरुआत से दिनांक 04.08.2026 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य में योजना के अंतर्गत कुल 25,157 RTS सिस्टम स्थापित की गई हैं, जिससे 25,790 घर लाभान्वित हुए हैं तथा सीएफए के रूप में 165.36 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। बिहार राज्य के लिए जिला-वार विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है।

PMSG: MBY के अंतर्गत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें वेंडर एम्पैनलमेंट पूल का विस्तार, स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों ($DISCOM_S$) द्वारा तकनीकी निरीक्षण को सुव्यवस्थित करना और स्थापना में देरी को रोकने के लिए फास्ट-ट्रैक ऋण मंजूरी देना शामिल है। इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा इस प्रकार है: -

- पर्याप्त और योग्य वेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेंडरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल की गई है।

- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके, विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- राष्ट्रीय पोर्टल में नेट मीटरिंग करार को आवेदन का एक हिस्सा बनाया गया है और अलग से करार की आवश्यकता को समाप्त कर किया गया है।
- डिस्कॉम अधिकारियों सहित क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- राज्यों, डिस्कॉमों तथा बैंकों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है। साथ ही, समय-समय पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो रेट प्लस 50 बीपीएस अर्थात् वर्तमान के लिए 5.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल-फ्री) ऋण की उपलब्धता है। ऋण के लिए जनसमर्थ पोर्टल के समेकन के साथ राष्ट्रीय पोर्टल से ही आवेदन किया जा सकता है।
- शिकायतों के समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।
- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन, टी.वी. विज्ञापन अभियानों, एफएम स्टेशनों सहित क्षेत्रीय चैनलों पर रेडियो अभियानों आदि के माध्यम से देश में जागरुकता और आउटरीच कार्यक्रम द्वारा योजना के बारे में जागरुकता पैदा की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, MNRE और REC लिमिटेड, PMSG: MBY के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) के रूप में, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी डिस्कॉमों के साथ निकट समन्वय में कार्य करते हैं।

अनुलग्नक-I

'प्रधान मंत्री - सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का कार्यान्वयन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 05.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 243 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

देश भर में पीएमएसजी:एमबीवाई के अंतर्गत की गई प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (दिनांक 04.08.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापनाएँ (संख्या)	शामिल किए गए घर (सं.)	जारी सब्सिडी (करोड़ रुपये)
1	गुजरात	7,78,680	11,15,820	5,654.73
2	उत्तर प्रदेश	7,26,503	7,34,270	4,774.43
3	महाराष्ट्र	7,09,205	10,93,529	5,079.62
4	केरल	3,13,970	3,20,781	2,086.83
5	राजस्थान	2,81,760	2,90,814	1,860.00
6	आंध्र प्रदेश	2,75,619	2,80,019	1,519.40
7	असम	1,64,944	1,65,511	1,173.92
8	मध्य प्रदेश	1,60,276	1,65,566	1,117.66
9	ओडिशा	1,59,676	1,60,759	722.33
10	हरियाणा	1,18,942	1,28,889	755.82
11	उत्तराखंड	98,108	98,464	757.57
12	तमिलनाडु	87,855	1,03,171	584.21
13	छत्तीसगढ	86,462	88,931	513.10
14	तेलंगाना	56,218	71,800	331.98
15	जम्मू और कश्मीर	39,802	39,950	300.16
16	बिहार	25,157	25,790	165.36
17	कर्नाटक	23,314	35,607	165.93
18	पंजाब	17,646	17,771	112.62
19	हिमाचल प्रदेश	12,128	12,154	88.85
20	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	10,879	15,819	72.50
21	पुदुचेरी	4,946	5,017	31.59
22	त्रिपुरा	4,564	4,575	33.01

23	पश्चिम बंगाल	3,581	4,159	10.01
24	गोवा	3,411	4,634	22.76
25	झारखंड	3,371	3,592	21.97
26	लद्दाख	2,067	2,067	15.55
27	मणिपुर	1,581	1,581	11.48
28	चंडीगढ़	1,389	1,389	8.39
29	मिजोरम	1,377	1,379	10.64
30	लक्षद्वीप	1,207	1,207	9.88
31	डीएनएच और डीडी	1,164	1,164	5.59
32	नगालैंड	459	459	2.96
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	417	436	2.66
34	मेघालय	61	9,306	0.33
35	सिक्किम	60	60	0.38
36	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0.01
	कुल	**41,76,800**	**50,06,441**	**28,024.21**

अनुलग्नक-II

'प्रधान मंत्री - सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का कार्यान्वयन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 05.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 243 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

बिहार राज्य में पीएमएसजी:एमबीवाई के अंतर्गत की गई प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (दिनांक 04.08.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	ज़िला	स्थापनाएं (संख्या)	परिवार (संख्या)	जारी की गई सब्सिडी की राशि (करोड़ में)
1	अररिया	60	60	0.28
2	अरवल	92	92	0.66
3	औरंगाबाद	199	199	1.27
4	बांका	172	172	0.99
5	बेगूसराय	504	504	3.43
6	भागलपुर	1,182	1,182	7.91
7	भोजपुर	428	428	2.74
8	बक्सर	166	166	1.05
9	दरभंगा	564	564	3.39
10	गया	979	979	6.54
11	गोपालगंज	149	149	0.92
12	जमुई	127	127	0.82
13	जहानाबाद	147	147	0.97
14	कैमूर भभुआ	193	193	1.15
15	कटिहार	117	117	0.62
16	खगरिया	263	263	1.42
17	किशनगंज	72	72	0.46
18	लखीसराय	90	90	0.57
19	मधेपुरा	129	129	0.76
20	मधुबनी	193	193	1.17

21	मुंगेर	348	348	2.24
22	मुजफ्फरपुर	1,698	1,698	10.73
23	नालंदा	1,527	1,527	10.32
24	नवादा	506	506	3.39
25	पश्चिम चंपारण	552	556	3.50
26	पटना	9,899	10,177	67.77
27	पूर्बी चंपारण	612	613	3.93
28	पूर्णिया	287	287	1.73
29	रोहतास	398	697	2.65
30	सहरसा	125	125	0.73
31	समस्तीपुर	819	819	5.17
32	सरन	529	529	3.10
33	शेखपुरा	80	80	0.49
34	शिवहर	47	47	0.29
35	सीतामढ़ी	610	661	4.24
36	सिवान	182	182	1.12
37	सुपौल	252	252	1.48
38	वैशाली	860	860	5.36
	कुल	**25,157**	**25,790**	**165.36**
